निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 29/2025
दायरा दिनांकः—16.04.2025
निर्णय दिनांकः— 30.5.25

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण आत्मज श्यामदास उम्र 83 साल जाति बैरागी निवासी ग्राम रींझा तहसील छबडा हाल मुकाम कवाई जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री चिरोंजीलाल भार्गव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी का जन्म स्थान ग्राम रिंझा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान है प्रार्थी की जाति बैरागी है। प्रार्थी की जाति के अधिकांश लोग भिक्षावृति अथवा मंदिर की पूजा कर अपना जीवन यापन करते है यह व्यवसाय परम्परागत तरीके से प्रार्थी तथा प्रार्थी के पूर्वज करते चले आ रहें है। प्रार्थी के पिता का मूलतः नाम श्यामदास है। प्रार्थी के पिता श्यामदास ग्राम रिझा मे रहकर भिक्षावृति एंव मंदिर की पूजा अपने जीवन काल मे करते रहे इसी कम मे जिस घर मे भी प्रार्थी के पिता भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो सीताराम की आवाज देकर दान दाता को आटा एंव अन्य वस्तुएं दान करने के लिए आवाज देते थे। इस कारण स्थानीय स्तर पर प्रार्थी के पिता को सीताराम के नाम से भी जाना जाता रहा। वाके माल रिझा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान मे प्रार्थी लक्ष्मीनारायण के स्वामित्व एंव कब्जे एंव मालिकाना अधिकार मे आराजी खसरा नम्बर 71/1 रकबा 0.1391 हैक्टयर, स्थित है। जिसमे प्रार्थी के काश्तकार के नाम का विवरण लक्ष्मीनारायण पुत्र सीताराम बैरागी दर्ज है। ग्राम रिझा एक छोटी बस्ती का गांव है इस कारण प्रार्थी को गांव रिंझा का परित्याग कर उदर पूर्ति के परिपेक्ष मे ग्राम भुवाखेड़ी आकर पूजा करने का काम मिल गया जहां पर वर्षो तक पूजा की। इसी दौरान प्रार्थी शिक्षित होने से ग्राम भुवाखेड़ी मे ए.डी.बी.एम. का डाकघर मे विभाग में नौकरी मिल गई जिससे प्रार्थी को डाक प्राप्त करना तथा स्थानीय स्तर का समस्त

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

डकतार विभाग का व्यवसाय कर समस्त डाक को छबड़ा लाकर जमा करना होता था। प्रार्थी के पिता का नाम श्यामदास था आज भी प्रार्थी के समस्त कागजात मे प्रार्थी के पिता का नाम श्यामदास ही दर्ज है। मात्र रेवेन्यु रिकार्ड मे खातेदारी मे पिता का नाम स्थानीय चलन के अनुसार सीताराम दर्ज चला आ रहा है। सीताराम नाम दर्ज होने से प्रार्थी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दी जाने वाली किसान सम्मान योजना से, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दी जाने वाली किसान सम्मान योजना से वंचित होना पड़ रहा है। हाल ही मे इस नाम की वजह से राजस्थान सरकार के द्वारा फार्मर आईड़ी कार्ड बनाये जाने से भी प्रार्थी वंचित रह गया है। इसी परिपेक्ष मे प्रार्थी को विधुत विभाग से कनेक्शन नही मिल पा रहा है। कृषि विभाग से भी किसी प्रकार की कोई सहायता राशि भी नही मिल पाती है। समस्त सुविधाओ से प्रार्थी वंचित है। प्रार्थी का आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम श्यामदास दर्ज है। डाकघर विभाग में पेशन की आयु 65 वर्ष हो जाने पर प्रार्थी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। विभागीय नियम के अनुसार प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई पेंशन आदि नही मिलती है। इस कारण प्रार्थी के द्वारा वृद्धावस्था पेन्शन का आवेदन किया। जिसके तहत प्रार्थी को वृद्धावस्था पेन्शन राशि 1150/– रूपये राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम श्यामदास दर्ज है। प्रार्थना पत्र के साथ विकय पत्र दिनांक 25/04/1972 की छायाप्रति संलग्न है। जिसमे प्रार्थी के द्वारा ग्राम रिझा मे एक मकान खरीदा गया था जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम श्यामदास दर्ज है। प्रार्थी के नाम एक बन्दूक लाईसेंस था जिसे प्रार्थी के द्वारा आयु के कारण पुलिस स्टेशन मे जमा करा दिया जिसकी रसीद एंव लाईसेंस की छाया प्रति संलग्न है। जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम श्यामदास है। राज्य सरकार के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी शौचालय प्रमाण पत्र दिनांक 27/09/2016 पेश है। जिसमे श्यामदास पिता का नाम अंकित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कवाई की पासबुक की छायाप्रति, राशन कार्ड, माध्यमिक पाठशाला कवाई द्वारा जारी मिडिल परीक्षा पास वर्ष 1958 की छाया प्रति, डाकतार विभाग द्वारा जारी पेन्शन स्वीकृति आदेश की छायाप्रति संलग्न है। जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम श्यामदास दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा ग्राम कवाई मे एक मकान खरीद किया गया जिसमे भी प्रार्थी के पिता का नाम श्यामदास दर्ज है। एतद द्वारा सम्पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का नाम श्यामदास ही है। मात्र राजस्व रिकार्ड मे पिता का नाम सीताराम दर्ज होने से प्रार्थी समस्त सुविधाओं से वंचित है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सीताराम के स्थान पर श्यामदास दर्ज कराने के लिए श्रीमान से निवेदन करता है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना नही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित पैराकार सरकार से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रींझा तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 101 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र, वृद्धवस्था पेंशन स्वीवृति आदेश मकान का विक्रय पत्र बन्दूक जमा रशीद एवं डायरी शौचलय प्रमाण पत्र बैंक पास बुक परिवार राशन कार्ड, शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पोस्ट आफिस की पास बुक पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दित आराजी वाके ग्राम रींझा तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी के पिता का नाम ामदास है प्रार्थी के पिता भिक्षावृति एवं मन्दिर की पूजा अपने जीवन काल में करतें रहे जिस घर पर भिक्षा मांगन जातें तो सीताराम की आवाज लगातें इसलिए प्रार्थी के पिता को सीताराम के नाम से भी जाना जाता है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सीताराम दर्ज है प्रार्थी रींझा को छोडकर भुआखेडी में डाकघर में नौकरी मिल गई। प्रार्थी के पिता का नाम श्यामदास था आज भी प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में श्यामदस है मात्र राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सीताराम दर्ज है जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराना चाहता है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार से मिलनें वाली समस्त योजनाओं के लाभ से वंछित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सीताराम के स्थान पर श्यामदास किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम रींझा की आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 2.00 बीघा व खसरा नम्बर 72 रकबा 0.03 बीघा भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संख्या 2059–62 के खाता संख्या 74 के अनुसार लक्ष्मीनारायण जगन्नाथ गणेश पुत्र तुलसीराम जाति बैरागी के नाम खाते दर्ज थी। न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय छबडा के निर्णय आदेश 503 दिनांक 14.05.2012 द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम तुलसीराम के स्थान पर सीताराम दर्ज करने का आदेश पारित करने पर ग्राम रींझा के नामान्तरण संख्या 312 से खाता लक्ष्मीनाराण गणेश जगनन्नथ पुत्र सीताराम बैरागी के नाम दर्ज हुआ। प्रार्थी लक्ष्मीनारायण द्वारा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय छबडा के यहां खाता विभाजन हेतु वाद दायर किया गया। जिसमें पारित निर्णय आदेश दिनांक 27.08.2019 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 1783 दिनांक 08.02.2021 की पालना में नामान्तरण संख्या 393 से खाता विभाजन कर लक्ष्मीनारायण पुत्र सीताराम बैरागी के नाम खसरा नम्बर 71/1 रकबा 0.11 बीघा खाता पृथक दर्ज हुआ। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा सबसे पहले शामलाती खाते में पिता का नाम तुलसीराम के स्थान पर सीताराम दर्ज करवाया तत्पश्चात् न्यायालय आदेश से खाता विभाजन करवा कर अपना खाता पृथक करवाया। तथा पुनः पिता का नाम सीताराम के स्थान पर श्यामदास दर्ज करने हेतु वाद अन्तर्गत 136 एल0आर0एक्ट पेश किया है। जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम सीताराम ही है अतः प्रार्थना पत्र असत्य एवं सारहीन होने से निरस्त योग्य है। अतः खारिज फरमावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रींझा सम्वत् 2075–77 खाता संख्या 101 में लक्ष्मीनारायण पुत्र सीताराम जाति बैरागी दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में श्यामदास दर्ज है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा के निर्णय दिनांक 14.05.2012 से प्रार्थी के पिता का नाम तुलसीराम के स्थान पर सीताराम दर्ज करने का आदेश पारित करने पर नामान्तरण संख्या 312 दिनांक 25.05.2012 से खाता लक्ष्मीनारायण, गणेश, जगन्नाथ, पुत्र सीताराम बैरागी के नाम दर्ज हुआ। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा के आदेश दिनांक 27.08.2019 से खाता विभाजन का नामान्तरण संख्या 393 दिनांक 08.10.2021 खोला गया जो खसरा नम्बर 71/1 रकबा 0.11 बीघा खाता संख्या पृथक से लक्ष्मीनारायण पुत्र सीताराम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नाम दर्ज हुआ प्रार्थी द्वारा शामलाती खाते में पिता का नाम तुलसीराम के स्थान पर सीताराम दर्ज करवाया तत्पश्चात् न्यायालय आदेश से खाता विभाजन करवाया गया। तथा पुनः प्रार्थी पिता का नाम सीताराम के स्थान पर श्यामदास करवाना चाहता है प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)